भूमि अर्जन अधिनियम, 1894

धाराओं का क्रम

भाग 1

प्रारम्भिक

धाराएं पृष्ठ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 8
2. [निरसित।] 8
3. परिभाषाएं 8

भाग 2

अर्जन

प्रारम्भिक अन्वेषण

4. प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन और ऐसा होने पर आफिसरों की शक्तियां 10
5. नुकसान के लिए संदाय 11

आक्षेप

5क. आक्षेपों की सुनवाई 11

आशयित अर्जन की घोषणा

6. इस बात की घोषणा कि भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है 12
7. कलक्टर घोषणा के पश्चात् अर्जन की कार्यवाही करेगा 13
8. उस भूमि का चिन्हन, मापन और रेखांकन किया जाएगा 13
9. हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना 13
10. नामों और हितों के संबंध में कथन अपेक्षित और प्रवर्तित करने की शक्ति 13

कलक्टर द्वारा मापों, मूल्य और दावों की जांच और अधिनिर्णय

11. कलक्टर द्वारा जांच और अधिनिर्णय 14
11क. वह कालावधि जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा 14
12. कलक्टर का अधिनिर्णय कब अंतिम होगा 14
13. जांच का स्थगन 14
13क. लेखन की गलतियां आदि का सुधार 14
14. साक्षियों को समन करने और उनकी हाजिरी और दस्तावेजों की पेशी प्रवर्तित करने की शक्ति 15
15. वे बातें, जिन पर ध्यान दिया जाएगा और जिनकी उपेक्षा की जाएगी 15
15क. अभिलेख आदि मंगाने की शक्ति 15

कब्जा करना

16. कब्जा करने की शक्ति 15
17. आत्यन्तिकता की दशाओं में विशेष शक्तियां 15

2—180 M of L&J/ND/92

धाराएं पृष्ठ

भाग 3

न्यायालय को निर्देश और तदुपरि प्रक्रिया

18. न्यायालय को निर्देश - 16
19. न्यायालय के लिए कलक्टर का कथन - 17
20. सूचना की तामील - 17
21. कार्यवाहियों के प्रविषय पर निर्बन्धन - 17
22. कार्यवाहियां खुले न्यायालय में होंगी - 17
23. प्रतिकर अवधारित करने में विचार में ली जाने वाली बातें - 17
24. वे बातें जिनकी प्रतिकर अवधारित करने में उपेक्षा की जाएगी - 18
25. न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से कम न होना - 18
26. अधिनिर्णयों का प्ररूप - 19
27. खर्चे - 19
28. अतिरिक्त प्रतिकर पर ब्याज देने का निदेश कलक्टर को दिया जा सकेगा - 19
28क. न्यायालय के अधिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुन:अवधारण - 19

भाग 4

प्रतिकर का प्रभाजन

29. प्रभाजन की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी - 20
30. प्रभाजन संबंधी विवाद - 20

भाग 5

संदाय

31. प्रतिकर का संदाय या उसका न्यायालय में निक्षेप - 20
32. अन्य-संक्रामण करने के लिए अक्षम व्यक्तियों की भूमियां लेखे निक्षिप्त धन का विनिधान - 20
33. अन्य मामलों में निक्षिप्त धन का विनिधान - 21
34. ब्याज का संदाय - 21

भाग 6

भूमि का अस्थायी अधिभोग

35. बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी अधिभोग । जबकि प्रतिकर के संबंध में मतभेद है तब प्रक्रिया - 21
36. प्रवेश करने और कब्जा लेने की शक्ति और प्रत्यावर्तन पर प्रतिकर - 22
37. भूमि की दशा के संबंध में मतभेद - 22

भाग 7

कम्पनियों के लिए भूमि का अर्जन

38. [निरसित।] 22
38क. औद्योगिक समुत्थान की बाबत कुछ प्रयोजनों के लिए यह समझा जाना कि वह कम्पनी है - 22
39. समुचित सरकार की पूर्व सम्मति की और करार के निष्पादन की आवश्यकता - 22
40. पूर्ववर्ती जांच - 23
41. समुचित सरकार के साथ करार - 23
42. करार का प्रकाशन - 24
43. धारा 39 से लेकर धारा 42 तक की धाराएं वहां लागू नहीं होंगी जहां कि सरकार करार से आबद्ध है - 24

धाराएं पृष्ठ

44. रेल कम्पनी के भाग का कब्जा कैसे साबित किया जा सकेगा . . . 24
44क. अन्तरण आदि पर निर्बन्धन . . . 24
44ख. सरकारी कम्पनियों से भिन्न प्राइवेट कम्पनियों के लिए इस भाग के अधीन भूमि का अर्जन प्रयोजन विशेष के लिए किए जाने के सिवाय न किया जाना . . . 24

भाग 8

प्रकीर्ण

45. सूचनाओं की तामील . . . 24
46. भूमि के अर्जन में बाधा डालने के लिए शास्ति . . . 25
47. मजिस्ट्रेट अभ्यर्पण प्रवर्तित कराएगा . . . 25
48. अर्जन पूरा करना अनिवार्य नहीं है किन्तु यदि अर्जन पूरा न भी किया जाए तो भी प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाएगा . . . 25
49. गृह या निर्माण के एक भाग का अर्जन . . . 25
50. किसी स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी के खर्चे पर भूमि का अर्जन . . . 25
51. स्टाम्प शुल्क या फीस से छूट . . . 26
51क प्रमाणित प्रति का साक्ष्य के रूप में प्रतिग्रहण . . . 26
52. अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए वादों की दशा में सूचना . . . 26
53. न्यायालय के समक्ष वाली कार्यवाही को कोड आफ सिविल प्रोसीजर का लागू होना . . . 26
54. न्यायालय में हुई कार्यवाहियों में अपीलें . . . 26
55. नियम बनाने की शक्ति . . . 26

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894

(1894 का अधिनियम संख्यांक 1)[1]

[2 फरवरी, 1894]

लोक प्रयोजनों के लिए और कम्पनियों के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए
विधि का संशोधन करने के लिए
अधिनियम

यह समीचीन है कि लोक प्रयोजनों के लिए और कम्पनियों के लिए आवश्यक भूमि का अर्जन करने के लिए और ऐसे अर्जन लेखे दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए विधि का संशोधन किया जाए; अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**—(1) यह अधिनियम भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार [2][जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] सम्पूर्ण भारत पर है; तथा

(3) यह सन् 1894 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

2. **[निरसन और व्यावृत्ति।]** निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा अंशतः और निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।

3. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "भूमि" शब्द के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज़ के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें आती हैं;

[3][(कक) "स्थानीय प्राधिकारी" पदावलि के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित नगर योजना प्राधिकरण (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) आता है;];

(ख) "हितबद्ध व्यक्ति" पदावलि के अन्तर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन लेखे दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं, और कोई व्यक्ति भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा यदि वह भूमि पर प्रभाव डालने वाले सुखाचार में हितबद्ध है;

---

1. प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1894, भाग 5, पृष्ठ 23; और विधान परिषद की कार्यवाहियों के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1892, भाग 6, पृष्ठ 25 और भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1894, पृष्ठ 19, तथा पृष्ठ 24 से 42।

   इस अधिनियम को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त घोषित किया गया है :—

   (1) संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगना में;

   (2) खोण्डमल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा खोण्डमल जिले में; तथा

   (3) आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में।

   शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) के अधीन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त घोषित किया गया है :—

   (1) हजारीबाग लोहारदागा जिले में [अब रांची जिला कहा जाता है—देखिए कलकत्ता राजपत्र (अंग्रेजी), 1899, भाग 1, पृष्ठ 44] और मानभूमि और परगना धालभूमि तथा सिंघभूमि जिले में कोलाहन—देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1894, भाग 1, पृष्ठ 400; तथा

   (2) पलामू जिले में—देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1894, भाग 1, पृष्ठ 639।

   इस अधिनियम का नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एक्सटेंशन आफ लाज़) विनियम, 1960 (1960 का 3) की धारा 3 द्वारा अनुसूची द्वारा (1-11-1960 से) कतिपय उपान्तरणों के अधीन, विस्तार किया गया।

2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ग) "कलक्टर" शब्द से ज़िले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई उपायुक्त और इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए [1][समुचित सरकार] द्वारा विशेषतः नियुक्त कोई आफ़िसर आता है;

[2][(गग) "राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में के निगम" पदावलि से किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी सोसाइटी, जो सरकार द्वारा स्थापित या प्रशासित है और किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अर्थ में ऐसी सहकारी सोसाइटी आती है जो ऐसी सहकारी सोसाइटी है जिसकी समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धृत है];

(घ) "न्यायालय" शब्द से आरम्भिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जब तक कि [1][समुचित सरकार] ने इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के कृत्यों का पालन करने के लिए किन्हीं विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर किसी विशेष न्यायिक आफ़िसर की नियुक्ति (जिसे करने के लिए वह एतद्द्वारा सशक्त की जाती है) न कर दी हो;

[3][(ङ) "कम्पनी" शब्द से—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में परिभाषित ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो खंड (गग) में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी से भिन्न है।

(ii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो खंड (गग) में निर्दिष्ट सोसाइटी से भिन्न है;

(iii) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अर्थ में ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो खंड (गग) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी से भिन्न है;];

[4][(ङङ) "समुचित सरकार" पदावलि से संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करने के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है;]

[5][(च) "लोक प्रयोजन" पदावलि के अन्तर्गत—

(i) ग्राम-आस्थानों या विद्यमान ग्राम-आस्थानों के विस्तारण, योजनाबद्ध विकास या सुधार का उपबंध करना;

(ii) नगर या ग्राम योजना के लिए भूमि का उपबंध करना;

(iii) सरकार की किसी स्कीम या नीति के अनुसरण में लोक निधियों से भूमि के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि का उपबंध करना तथा योजनाबद्ध और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसका पट्टे, समनुदेशन या तत्काल विक्रय द्वारा पूर्णतः या भागतः पश्चात्वर्ती व्ययन करना;

(iv) राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम के लिए, भूमि का उपबंध करना;

(v) गरीबों या भूमिहीनों के लिए अथवा प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अथवा सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण में के किसी निगम द्वारा चलाई गई किसी स्कीम के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों के आवासिक प्रयोजनों के लिए भूमि का उपबंध करना;

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 3 द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतःस्थापित।
5. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 3 द्वारा खंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित

(vi) सरकार द्वारा या किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा, जो किसी शैक्षणिक, आवासन, स्वास्थ्य या गंदी बस्ती सफाई स्कीम के कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, या समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विधि के अर्थ में किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किसी ऐसी स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए भूमि का उपबंध करना;

(vii) सरकार द्वारा या समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित किसी अन्य विकास स्कीम के लिए भूमि का उपबंध करना;

(viii) कोई लोक कार्यालय स्थापित करने के लिए किसी स्थान या भवन का उपबंध करना,

आता है किंतु इसके अंतर्गत कंपनियों के लिए भूमि का अर्जन नहीं आता है];

(छ) निम्नलिखित व्यक्तियों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे एतत्पश्चात् यथा उपबन्धित रीति में और विस्तार तक "कार्य करने के लिए हक़दार" व्यक्ति हैं (अर्थात्)—

अन्य फ़ायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्तियों के न्यासियों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे ऐसे किसी मामले की बाबत कार्य करने के लिए हक़दार व्यक्ति हैं और उस विस्तार तक हक़दार हैं जहां तक कि यदि फ़ायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति निर्योग्यता से मुक्त होते तो वे कार्य कर सकते;

विवाहित स्त्री की बाबत उन मामलों में, जिन्हें कि इंग्लिश विधि लागू है यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार कार्य करने के लिए हक़दार है और चाहे वह पूर्णवयस की हो या न हो, उस विस्तार तक हक़दार है जहां तक कि यदि वह अविवाहित और पूर्णवयस की होती तो वह हक़दार होती; तथा

अप्राप्तवयों के संरक्षकों और पागलों या जड़ों के सुपुर्ददारों या प्रबन्धकों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे क्रमशः ऐसे कार्य करने के लिए हक़दार उस विस्तार तक हैं जहां तक कि यदि वे अप्राप्तवय, पागल या जड़ निर्योग्यता से मुक्त होते तो स्वयं कार्य कर सकते :

परन्तु—

(i) किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह "कार्य करने के लिए हक़दार" है, जिस व्यक्ति के विषय-वस्तु में हित की बाबत कलक्टर या न्यायालय को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि वह उस हितबद्ध व्यक्ति के हित के प्रतिकूल है जिसकी ओर से कार्य करने के लिए हक़दार वह अन्यथा होता;

(ii) हितबद्ध व्यक्ति ऐसे हर मामले में वाद-मित्र द्वारा उपसंजात हो सकेगा या वाद-मित्र द्वारा उपसंजाति के अभाव में यथास्थिति कलक्टर या न्यायालय मामले के संचालन में उसके निमित्त कार्य करने के लिए उसका वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा;

(iii) [1][सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 32] के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित उन हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे जो इस अधिनियम के अधीन वाली कार्यवाहियों में कलक्टर या न्यायालय के समक्ष वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा उपसंजात होते हैं; तथा

(iv) "कार्य करने के लिए हक़दार" कोई भी व्यक्ति वह प्रतिकर-धन प्राप्त करने के लिए, जो उस व्यक्ति को संदेय है जिसके लिए वह कार्य करने के लिए हक़दार है, तब के सिवाय सक्षम नहीं होगा जबकि वह भूमि का अन्य-संक्रामण करने के लिए और स्वैच्छिक विक्रय पर क्रय-धन प्राप्त करने और उसके लिए प्रभावी उन्मोचन देने के लिए सक्षम होता।

भाग 2

अर्जन

प्रारम्भिक अन्वेषण

4. प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन और ऐसा होने पर आफ़िसरों की शक्तियां—[2][(1) जब कभी समुचित

---

1. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 3 द्वारा "कोड आफ सिविल प्रोसीजर के अध्याय 31" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 4 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी परिक्षेत्र में की भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कंपनी के लिए आवश्यकता है या होनी संभाव्य है तब उस भाव वाली एक अधिसूचना शासकीय राजपत्र में और उस परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से कम से कम एक प्रादेशिक भाषा में होगा, प्रकाशित की जाएगी और कलक्टर ऐसी अधिसूचना के सारांश की लोक सूचना उक्त परिक्षेत्र में के सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवाएगा (ऐसे प्रकाशन और ऐसी लोक सूचना दिए जाने की तारीखों में से बाद वाली तारीख को इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख कहा गया है)।]

(2) तदुपरि—

ऐसे परिक्षेत्र में की किसी भूमि में प्रवेश करना, उसका सर्वेक्षण करना और उसका तलमापन करना,

अवमृदा के भीतर खोदना या वेधन करना,

यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या वह भूमि ऐसे प्रयोजन के अनुकूल है, आवश्यक अन्य समस्त कार्यों को करना,

उस भूमि की, जिसे लेने की प्रस्थापना की गई है सीमाएं और यदि वहां कोई संकर्म बनाए जाने की प्रस्थापना है तो उस प्रस्थापित संकर्म की आशयित रेखा लगाना, ऐसे भूतल, ऐसी सीमाएं और रेखा चिन्ह लगाकर और खाइयां खोदकर चिन्हित करना, तथा

जहां कि अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता और तलमापन नहीं किया जा सकता और सीमाएं और रेखा चिन्हित नहीं की जा सकती वहां किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग को काटना और भूमि को साफ करना,

ऐसी सरकार द्वारा साधारण रूप से या विशेष रूप से तन्निमित्त प्राधिकृत किसी आफ़िसर के लिए और उसके सेवकों और कर्मकारों के लिए विधिपूर्ण होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के अपने आशय की कम-से-कम सात दिन की लिखित सूचना अधिभोगी को पहले ही दिए बिना किसी निर्माण के भीतर या निवास-गृह से संलग्न किसी घिरे आंगन या बाग में प्रवेश तब के सिवाय नहीं करेगा जबकि उसके अधिभोगी की ऐसा करने के लिए अनुज्ञा हो।

5. **नुकसान के लिए संदाय**—वह आफ़िसर, जो ऐसे प्राधिकृत है, पूर्वोक्त जैसे पहुंचाए जाने वाले सारे आवश्यक नुकसान के लिए संदाय या संदाय की निविदा ऐसे प्रवेश के समय करेगा और इस प्रकार किए गए या निविदत्त संदाय की रकम की पर्याप्तता के संबंध में विवाद होने पर वह उस विवाद को तत्क्षण जिले के कलक्टर या अन्य मुख्य राजस्व आफ़िसर के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।

[1][आक्षेप

5क. **आक्षेपों की सुनवाई**—(1) ऐसी किसी भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, जिस भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यह अधिसूचित किया जा चुका है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कम्पनी के लिए उसकी आवश्यकता है या होनी संभाव्य है, [2][अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर] यथास्थिति उस भूमि के या उस परिक्षेत्र में की किसी भी भूमि के अर्जन पर आक्षेप कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन हर आक्षेप कलक्टर से लिखित रूप में किया जाएगा और [3][आक्षेपकर्ता को स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए या] प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर कलक्टर देगा और ऐसे सारे आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अपर जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे [4][या तो उस भूमि की बाबत, जो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गई है, एक रिपोर्ट, या ऐसी भूमि के विभिन्न खंडों की बाबत विभिन्न रिपोर्टें, जिसमें या जिनमें आक्षेपों के संबंध में उसकी सिफारिशें अन्तर्विष्ट होंगी, अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित, समुचित सरकार के विनिश्चय के लिए उसे देगा।] आक्षेपों के संबंध में [5][समुचित सरकार] का विनिश्चय अंतिम होगा।

---

1. 1923 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 द्वारा शीर्षक तथा धारा 5क अंत:स्थापित।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 5 द्वारा "अधिसूचना निकलने के पश्चात् तीस दिन के अंदर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 5 द्वारा "आक्षेपकर्ता को स्वयं या" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1967 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो यदि इस अधिनियम के अधीन भूमि अर्जित हो गई तो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा।

आशयित अर्जन की घोषणा

6. **इस बात की घोषणा कि भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है—**(1) इस अधिनियम के भाग 7 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि [1][जब [2][समुचित सरकार] का समाधान धारा 5क की उपधारा (2) के अधीन की गई किसी रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात हो जाता है] कि किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कम्पनी के लिए किसी विशिष्ट भूमि की आवश्यकता है तब ऐसी सरकार के किसी सचिव के या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी आफिसर के हस्ताक्षरों के अधीन ऐसे भाव की एक घोषणा की जाएगी [3][और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक ही अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली किसी भूमि के विभिन्न खण्डों की बाबत विभिन्न घोषणाएं समय-समय पर, की जा सकेंगी चाहे धारा 5क की उपधारा (2) के अधीन (जहां भी अपेक्षित हो) एक रिपोर्ट दी गई हो या विभिन्न रिपोर्टें दी गई हों]:

[4][[5][परन्तु धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना के,—

(i) जो भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1967 (1967 का 1) के प्रारम्भ के पश्चात् किन्तु भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 68), के प्रारम्भ के पूर्व प्रकाशित की गई है, अंतर्गत आने वाली किसी विशिष्ट भूमि की बाबत कोई घोषणा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी; या

(ii) जो भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 68), के प्रारम्भ के पश्चात् प्रकाशित की गई है; अंतर्गत आने वाली किसी विशिष्ट भूमि की बाबत कोई घोषणा ऐसे प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी:"।

" परन्तु यह और भी कि] ऐसी घोषणा तब तक के सिवाय नहीं की जाएगी जब कि ऐसी संपत्ति के लिए अधिनिर्णीत किया जाने वाला प्रतिकर कम्पनी द्वारा, या पूर्णतः या भागतः लोक राजस्वों में से, या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी निधि में से, संदत्त किया जाना है।

[6][**स्पष्टीकरण 1**—पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कालावधि की संगणना करने में उस कालावधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के किसी आदेश द्वारा रोक दी जाती है।

स्पष्टीकरण 2—जहां ऐसी सम्पत्ति के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर का संदाय राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम की निधियों में से किया जाना है वहां ऐसा प्रतिकर लोक राजस्व में से संदत्त प्रतिकर समझा जाएगा।]

(2) [7][हर घोषणा] [8][शासकीय राजपत्र में और उस परिक्षेत्र में, जिसमें भूमि अवस्थित है, परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक प्रादेशिक भाषा में होगा, प्रकाशित की जाएगी और कलक्टर ऐसी घोषणा के सारांश की लोक सूचना उक्त परिक्षेत्र में के सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवाएगा (ऐसे प्रकाशन और ऐसी लोक सूचना के दिए जाने की तारीखों में से बाद वाली तारीख को इसमें इसके पश्चात् ऐसी घोषणा के प्रकाशन की तारीख कहा गया है) और ऐसी घोषणा में] वह जिला या अन्य प्रादेशिक खंड, जिसमें कि भूमि अवस्थित है, वह प्रयोजन जिसके लिए उस भूमि की आवश्यकता है, उसका लगभग क्षेत्रफल और जहां कि भूमि का कोई रेखांक बनाया गया हो वहां वह स्थान, जहां ऐसे रेखांक का निरीक्षण किया जा सकता है, कथित होगा।

(3) उक्त घोषणा इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस भूमि की, यथास्थिति, लोक प्रयोजन के लिए या कम्पनी के लिए आवश्यकता है और ऐसी घोषणा करने के पश्चात् [2][समुचित सरकार] एतत्पश्चात दी गई रीति में उस भूमि का अर्जन कर सकेगी।

---

1. 1923 के अधिनियम सं० 38 की धारा 4 द्वारा "जहां कहीं स्थानीय सरकार को प्रतीत होता है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1967 के अधिनियम सं० 13 की धारा 3 द्वारा (12-4-1967 से) अंतःस्थापित।
4. 1967 के अधिनियम सं० 13 की धारा 3 द्वारा (12-4-1967 से) प्रतिस्थापित।
5. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 6 द्वारा पहले परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।
7. 1967 के अधिनियम सं० 13 की धारा 3 द्वारा "घोषणा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 6 द्वारा "शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसमें" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7. कलक्टर घोषणा के पश्चात् अर्जन की कार्यवाही करेगा—जब कभी किसी भूमि के संबंध में इस प्रकार यह घोषित कर दिया गया हो कि उसकी लोक प्रयोजन के लिए या कम्पनी के लिए आवश्यकता है तब [1][समुचित सरकार] या [1][समुचित सरकार] द्वारा तन्निमित्त प्राधिकृत कोई आफिसर कलक्टर को भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाही करने का निदेश देगा ।

8. उस भूमि का चिन्ह, मापन और रेखांकन किया जाएगा—कलक्टर तब उस भूमि का चिन्ह (तब के सिवाय जबकि धारा 4 के अधीन उसका चिन्ह पहले ही हो गया है) करवाएगा । वह उसका माप भी करवाएगा और यदि उसका कोई रेखांक नहीं बनाया गया है तो उसका एक रेखांक बनवाएगा ।

9. हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना—(1) कलक्टर तब उस भूमि पर, जो ली जानी है, या उसके निकट सुविधापूर्ण स्थानों में इस बात का कथन करने वाली लोक सूचना दिलवाएगा कि उस भूमि का कब्जा लेने का सरकार का आशय है और ऐसी भूमि में के सारे हितों के लिए प्रतिकर के दावे उससे किए जा सकते हैं ।

(2) ऐसी सूचना में उस भूमि की, जिसकी इस प्रकार आवश्यकता है, विशिष्टियों का कथन होगा और भूमि में सारे हितबद्ध व्यक्तियों से उस द्वारा यह अपेक्षा की जाएगी कि वे उसमें वर्णित समय (ऐसा समय सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले पन्द्रह दिन से पूर्वतर का न होगा) और स्थान पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा कलक्टर के समक्ष उपसंजात हों और भूमि में के अपने-अपने हितों का स्वरूप और ऐसे हितों के लिए प्रतिकर की रकम और प्रतिकर के अपने दावों की विशिष्टियां और धारा 8 के अधीन किए गए माप पर अपने आक्षेप (यदि कोई हों) कथित करें । कलक्टर किसी मामले में इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा कथन लिखित रूप में किया जाए और पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।

(3) कलक्टर ऐसी किसी भूमि के अधिभोगी पर (यदि कोई हो) और जिस राजस्व जिले में भूमि अवस्थित है उसमें निवासी या उनके निमित्त तामील लेने के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता रखने वाले उन सब व्यक्तियों पर भी, जिनकी बाबत यह ज्ञात है या विश्वास है कि वे उसमें हितबद्ध हैं या ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के लिए हकदार हैं, उसी भाव वाली सूचना की तामिल कराएगा ।

(4) उस दशा में, जिसमें कि ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति अन्यत्र निवास करता है और उसका ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, वह सूचना ऐसे पत्र द्वारा, जो उसके अंतिम ज्ञात निवासस्थान, पते या कारबार के स्थान से उसको संबोधित है और [2][भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 28 और धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकृत] है, डाक द्वारा उसके पास भेजी जाएगी ।

10. नामों और हितों के सम्बन्ध में कथन अपेक्षित और प्रवर्तित करने की शक्ति—(1) कलक्टर ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि वह एक कथन, जिसमें सह-स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, बन्धकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा उस भूमि में या उसके किसी भाग में कोई हित रखने वाले ऐसे हर अन्य व्यक्ति का नाम और ऐसे हित का स्वरूप और कथन की तारीख से पूर्ववर्ती पिछले तीन वर्षों में उस लेखे प्राप्त किए गए या प्राप्य भाटक और लाभ (यदि कोई हों) यावत्साध्य अन्तर्विष्ट हैं, वर्णित समय (ऐसा समय उस अपेक्षा की तारीख के पश्चात् के पन्द्रह दिन से पूर्वतर का न होगा) और स्थान पर उससे करे या उसे परिदत्त करे ।

(2) हर व्यक्ति, जिससे इस धारा या धारा 9 के अधीन कथन करने की या उसका परिदान करने की अपेक्षा की गई है, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धाराओं 175 और 176 के अर्थों में ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

कलक्टर द्वारा मापों, मूल्य और दावों की जांच और अधिनिर्णय

11. कलक्टर द्वारा जांच और अधिनिर्णय—[3][(1)] ऐसे नियत दिन या किसी भी अन्य दिन, जिसके लिए वह जांच स्थगित कर दी गई है, कलक्टर उन आक्षेपों की (यदि कोई हों), जो धारा 9 के अधीन निकाली गई सूचना के अनुसरण में किसी हितबद्ध व्यक्ति ने धारा 8 के अधीन किए गए मापों की बाबत किए हैं और [4][धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर] भूमि के मूल्य की और प्रतिकर के लिए दावा करने वाले व्यक्तियों के क्रमिक हितों की जांच करने के लिए अग्रसर होगा और—

(i) भूमि के सही क्षेत्रफल की बाबत;

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 7 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 8 द्वारा धारा 11 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित ।
4. 1923 के अधिनियम सं० 38 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ii) उस प्रतिकर की बाबत, जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए; तथा

(iii) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह ज्ञात है या विश्वास किया जाता है कि वे भूमि में हितबद्ध हैं, उन सब व्यक्तियों में से उनमें, जिनके संबंध में या जिनके दावों के संबंध में उसे जानकारी है, भले ही वे उसके सामने उपसंजात हुए हों या नहीं, उक्त प्रतिकर के प्रभाजन की बाबत,

स्वहस्ताक्षरित अधिनिर्णय देगा :

[1][परन्तु कलक्टर द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई अधिनिर्णय समुचित सरकार के या ऐसे अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा जिसे समुचित सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे :

परन्तु यह और कि समुचित सरकार यह निदेश देने के लिए सक्षम होगी कि कलक्टर ऐसे वर्ग के मामलों में जिन्हें समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे अनुमोदन के बिना ऐसा अधिनिर्णय कर सकेगा ।]।

[1][(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों ने, जो उसके समक्ष उपसंजात हुए थे, समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित प्ररूप में कलक्टर के अधिनिर्णय में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों के संबंध में लिखित रूप में करार किया है तो वह और जांच किए बिना ऐसे करार के निबंधनों के अनुसार अधिनिर्णय कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी भूमि के लिए प्रतिकर के अवधारण से उसी परिक्षेत्र में या अन्यत्र अन्य भूमियों की बाबत इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का अवधारण किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई करार उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा ।]।

[2][11क. **वह कालावधि जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा**—कलक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय करेगा और यदि उस कालावधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के अर्जन के लिए समस्त कार्यवाहियां व्यपगत हो जाएंगी :

परंतु किसी ऐसे मामले में, जहां उक्त घोषणा भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व प्रकाशित की गई है वहां अधिनिर्णय ऐसे प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में निर्दिष्ट दो वर्ष की कालावधि की संगणना करने में उस कालावधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के किसी आदेश द्वारा रोक दी जाती है ।]।

12. **कलक्टर का अधिनिर्णय कब अंतिम होगा**—(1) ऐसा अधिनिर्णय कलक्टर के कार्यालय में फाइल किया जाएगा और एतस्मिन्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य, भले ही वे क्रमश: कलक्टर के समक्ष उपसंजात हुए हों या नहीं, भूमि के सही क्षेत्रफल और मूल्य का और हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर के प्रभाजन का अंतिम और निश्चायक साक्ष्य होगा ।

(2) कलक्टर अपने अधिनिर्णय के सूचना हितबद्ध व्यक्तियों में से ऐसों को जो उस अधिनिर्णय के दिए जाने के समय स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित नहीं हैं, अविलम्ब देगा ।

13. **जांच का स्थगन**—कलक्टर जांच को ऐसे किसी दिन के लिए, जो उस द्वारा नियत किया जाएगा, समय-समय पर किसी ऐसे हेतुक के लिए स्थगित कर सकेगा जिसे वह ठिक समझे ।

[3][13क. **लेखन की गलतियों आदि का सुधार**—(1) कलक्टर, किसी भी समय किन्तु अधिनिर्णय की तारीख से छह मास के अपश्चात् या जहां उससे धारा 18 के अधीन न्यायालय को निर्देश करने की अपेक्षा की गई है वहां ऐसा निर्देश करने से पहले, आदेश द्वारा, अधिनिर्णय में किन्हीं लेखन या गणित संबंधी भूलों को या उसमें उत्पन्न होने वाली गलतियों को, स्वयं या किसी हितबद्ध व्यक्ति या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर सुधार सकेगा :

---

1. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

परन्तु ऐसा कोई सुधार, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तभी किया जाएगा जब उस व्यक्ति को उस मामले में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दे दिया जाता है।

(2) कलक्टर अधिनिर्णय में किए गए किसी सुधार की सभी हितबद्ध व्यक्तियों को तुरन्त सूचना देगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए सुधार के परिणामस्वरूप यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति को किसी अतिरिक्त रकम का संदाय कर दिया गया है वहां इस प्रकार संदत्त अतिरिक्त रकम प्रतिसंदेय होगी और संदाय में किसी व्यतिक्रम या उससे इंकार की दशा में उस भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।] ।

14. साक्षियों को समन करने और उनकी हाजिरी और दस्तावेजों की पेशी प्रवर्तित करने की शक्ति—कलक्टर को इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए यह शक्ति प्राप्त होगी कि उन्हीं साधनों द्वारा और यथाशक्य उसी रीति में जो सिविल न्यायालय की दशा में [1][सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)] के अधीन उपबन्धित है, साक्षियों को, जिनके अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार भी आते हैं या उनमें से किसी को समन कर ले, उनकी हाजिरी प्रवर्तित करा ले, या उन्हें दस्तावेजें पेश करने के लिए विवश करे।

15. वे बातें, जिन पर ध्यान दिया जाएगा और जिनकी उपेक्षा की जाएगी—प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में कलक्टर धाराओं 23 और 24 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

[2][**15क. अभिलेख आदि मंगाने की शक्ति**—समुचित सरकार, कलक्टर द्वारा धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व किसी भी समय किसी कार्यवाही का (जो जांच के रूप में या अन्यथा की गई है) अभिलेख, किसी निष्कर्ष या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अथवा ऐसी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी और उस संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी या ऐसा निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परंतु समुचित सरकार ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करेगी या ऐसा निदेश जारी नहीं करेगी जिससे उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।] ।

कब्जा करना

16. कब्जा करने की शक्ति—जबकि कलक्टर ने धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय दे दिया हो तब वह भूमि पर कब्जा कर सकेगा जो ऐसा होने पर सब विल्लंगमों से मुक्तकृत [3][[4][सरकार] में आत्यन्तिकतः निहित] हो जाएगी।

17. आत्यन्तिकता की दशाओं में विशेष शक्तियां—(1) आत्यन्तिकता की दशाओं में जब कभी [5][समुचित सरकार] ऐसा निदेश दे तब यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कलक्टर [6][किसी ऐसी भूमि पर जिसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, कब्जा] धारा 9 की उपधारा (1) में वर्णित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवसान पर कर सकेगा। ऐसा होने पर ऐसी भूमि सब विल्लंगमों से मुक्तकृत [3][[4][सरकार] में आत्यन्तिकतः निहित] हो जाएगी।

(2) जब कभी किसी रेल प्रशासन के लिए इस बात की आवश्यकता किसी नौतार्य नदी की धारा में किसी आकस्मिक तब्दीली के या अन्य अकल्पित आपात के कारण हो जाती है कि वह किसी भूमि का अव्यवहित कब्जा अपना ट्रैफिक बनाए रखने के लिए या उस पर कोई नदी-तीर या घाट स्टेशन बनाने या ऐसे किसी स्टेशन से सुविधापूर्ण कनेक्शन या वहां तक सुविधापूर्ण पहुंच-मार्ग उपबन्धित करने के लिए अर्जित कर ले [7][अथवा समुचित सरकार यह आवश्यक समझती है कि वह किसी भूमि का अव्यवहित कब्जा सिंचाई, जल प्रदाय, जल निकास, सड़क, संचार या विद्युत से संबंधित किसी संरचना या पद्धति को बनाए रखने के प्रयोजन के लिए अर्जित कर ले] तब कलक्टर उपधारा (1) में वर्णित सूचना के प्रकाशन के अव्यवहित पश्चात् और [3][समुचित सरकार] की पूर्व

---

1. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 11 द्वारा "कोड आफ सिविल प्रोसीजर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।
3. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार में पूर्णतः निहित" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "क्राउन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 13 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

मंजूरी से ऐसी भूमि पर प्रवेश और कब्जा कर सकेगा जो ऐसा होने पर सब विल्लंगमों से मुक्तकृत [1][[2][सरकार] में आत्यन्तिकतः निहित] हो जाएगी :

परंतु कलक्टर किसी निर्माण या उसके किसी भाग पर ऐसा कब्जा उसके अधिभोगी को इस उपधारा के अधीन कब्जा करने के अपने आशय की कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना, या ऐसी दीर्घतर सूचना, जैसी कि ऐसे अधिभोगी को अनावश्यक असुविधा के बिना ऐसे निर्माण से अपनी जंगम सम्पत्ति हटाने के लिए समर्थ बनाने को युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो, दिए बिना न करेगा ।

(3) दोनों पूर्ववर्ती उपधाराओं में से किसी के अधीन वाली हर दशा में कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों को ऐसी भूमि पर की खड़ी फसलों और वृक्षों के लिए (यदि कोई हों), और ऐसे अकस्मात बेकब्जा होने से कारित ऐसे किसी अन्य नुकसान के लिए, जो उन्होंने उठाया है, और धारा 24 में अपवादित नहीं है, प्रतिकर देने की प्रस्थापना कब्जा करने के समय करेगा; और यदि ऐसी प्रस्थापना प्रतिगृहीत नहीं की जाती तो भूमि के लिए प्रतिकर एतदन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन अधिनिर्णीत करने में ऐसी फसलों और वृक्षों का मूल्य और ऐसे अन्य नुकसान की रकम भी गणना में ली जाएगी ।

[3][(3क) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने के पूर्व कलक्टर उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) उन हितबद्ध व्यक्तियों को जो प्रतिकर के लिए हकदार हैं, ऐसी भूमि के लिए, जिसका उसमें प्राक्कलन किया है, प्रतिकर के अस्सी प्रतिशत का संदाय निविदत्त करेगा, और

(ख) उनको उसका तब तक संदाय करेगा जब तक धारा 31 की उपधारा (2) में वर्णित आकस्मिकताओं में से किसी एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा निवारित नहीं किया गया है,

और जहां कलक्टर इस प्रकार निवारित किया गया है वहां धारा 31 की उपधारा (2) के उपबंध (उसके दूसरे परन्तुक के सिवाय) वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन प्रतिकर के संदाय को लागू होते हैं ।

(3ख) उपधारा (3क) के अधीन संदत्त या निक्षिप्त रकम को धारा 31 के अधीन निविदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रतिकर की रकम के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जाएगा और जहां इस प्रकार संदत्त या निक्षिप्त रकम धारा 11 के अधीन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर से अधिक हो जाती है वहां अधिक्य को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा, यदि उसका कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर प्रतिदाय नहीं कर दिया जाता है ।] ।

[4][(4) किसी ऐसी भूमि की दशा में, जिसे कि [5][समुचित सरकार] की राय में उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्ध लागू हैं, [5][समुचित सरकार] यह निदेश दे सकेगी कि धारा 5क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे और यदि वह ऐसा निदेश देती है तो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन की [6][अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात्] किसी भी समय उस भूमि के विषय में धारा 6 के अधीन घोषणा की जा सकेगी ।]

भाग 3

न्यायालय को निर्देश और तदुपरि प्रक्रिया

18. न्यायालय को निर्देश—(1) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय प्रतिगृहीत नहीं किया है, चाहे उस व्यक्ति का आक्षेप भूमि के माप के, चाहे प्रतिकर की रकम के, चाहे उन व्यक्तियों के, जिनको वह संदेय है, चाहे हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में हो, कलक्टर से किए गए लिखित आवेदन द्वारा इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि उस मामले को कलक्टर न्यायालय के अवधारण के लिए निर्देशित कर दे ।

(2) आवेदन उन आधारों का कथन करेगा जिन पर कि अधिनिर्णय पर आक्षेप किया गया है :

परन्तु ऐसा हर आवेदन—

(क) उस दशा में, जिसमें कि वह व्यक्ति, जो ऐसा आवेदन करता है, कलक्टर के सामने उस समय जब कलक्टर ने अधिनिर्णय दिया था उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था, कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर,

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सरकार में आत्यन्तिकतः निहित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "क्राउन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित ।
4. 1923 के अधिनियम सं० 38 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया ।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 13 द्वारा "अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) अन्य दशाओं में धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन कलक्टर से सूचना की प्राप्ति के छह सप्ताह और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह मास में से जिस कालावधि का पहले अवसान हो उसके भीतर किया जाएगा।

19. न्यायालय के लिए कलक्टर का कथन—(1) निर्देश करने में कलक्टर न्यायालय की जानकारी के लिए—

(क) उस भूमि पर के किन्हीं वृक्षों, निर्माणों और खड़ी फसलों की विशिष्टियों सहित भूमि के अवस्थान और विस्तार का;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नामों का, जिनको ऐसी भूमि में हितबद्ध समझने का उसके पास कारण है;

(ग) उस रकम का, जो नुकसानी के लिए धाराओं 5 और 17 या दोनों में से किसी के अधीन अधिनिर्णीत की गई है और संदत्त या निविदत्त की गई है और प्रतिकर की रकम का, जो धारा 11 के अधीन अधिनिर्णीत की गई है, [1]* * *

[2][(गग) धारा 17 की उपधारा (3क) के अधीन संदत्त या निक्षिप्त रकम; और];

(घ) उस दशा में, जिसमें कि आक्षेप प्रतिकर की रकम के बारे में है, उन आधारों का, जिन पर प्रतिकर की रकम अवधारित की गई थी,

स्वहस्ताक्षरित लिखित कथन करेगा।

(2) उक्त कथन के साथ एक अनुसूची संलग्न की जाएगी, जिसमें उन सूचनाओं की, जिनकी तामील हितबद्ध पक्षकारों पर की गई है और उन पक्षकारों द्वारा किए गए या परिदत्त लिखित कथनों की तत्संबद्ध विशिष्टियां दी हुई होंगी।

20. **सूचना की तामील**—न्यायालय तदुपरि वह दिन विनिर्दिष्ट करने वाली, जिसको न्यायालय आक्षेप के अवधारण के लिए अग्रसर होगा, और न्यायालय के समक्ष उस दिन को उनकी उपसंजाति के लिए निदेश देने वाली सूचना की तामील निम्नलिखित व्यक्तियों पर, अर्थात् :—

(क) आवेदक पर;

(ख) आक्षेप में हितबद्ध सब व्यक्तियों पर, उनमें से ऐसों के सिवाय (यदि कोई हों) जो अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय किसी अभ्यापत्ति के बिना प्राप्त करने के लिए सम्मत हो गए हैं; तथा

(ग) उस दशा में, जिसमें कि आक्षेप भूमि के क्षेत्रफल या प्रतिकर की रकम के बारे में है, पर कलक्टर,

कराएगा।

21. **कार्यवाहियों के प्रविषय पर निर्बन्धन**—ऐसी हर कार्यवाही में जांच का प्रविषय उन व्यक्तियों के हितों पर विचार करने तक निर्बन्धित रहेगा, जिन पर आक्षेप का प्रभाव पड़ता है।

22. **कार्यवाहियां खुले न्यायालय में होंगी**—ऐसी हर कार्यवाही खुले न्यायालय में होगी और राज्य में के किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हक़दार सब व्यक्ति ऐसी कार्यवाही में (यथास्थिति) उपसंजात होने, अभिवचन करने और कार्य करने लिए हक़दार होंगे।

23. **प्रतिकर अवधारित करने में विचार में ली जाने वाली बातें**—(1) उस प्रतिकर की, जो इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के लिए अधिनिर्णीत किया जाना है, रकम अवधारित करने में न्यायालय—

प्रथम [3][धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना] के प्रकाशन की तारीख पर उस भूमि का बाजार मूल्य;

द्वितीय, वह नुकसान जो हितबद्ध व्यक्ति किन्हीं ऐसी खड़ी फसलों या वृक्षों के ले लिए जाने के कारण उठाया हो जो जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, उस समय उस भूमि पर हों;

तृतीय, वह नुकसान, (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ने ऐसी भूमि अपनी दूसरी भूमि से अलग किए जाने के कारण उस समय उठाया हो जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया;

चतुर्थ, वह नुकसान (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ने उस समय जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, इस कारण उठाया हो कि उस अर्जन से उसकी अन्य स्थावर या जंगम सम्पत्ति पर किसी अन्य रीति में या उसके उपार्जनों पर क्षतिकर प्रभाव पड़ा है;

---

1. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 14 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 1923 के अधिनियम सं० 38 की धारा 7 द्वारा "धारा 6 के अधीन उससे संबंधित घोषणा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पंचम, उस दशा में, जिसमें कि हितबद्ध व्यक्ति कलक्टर द्वारा उस भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपना निवास या कारबार का स्थान बदलने के लिए विवश हो जाता है, ऐसी तब्दीली से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो); तथा

षष्ठम्, वह नुकसान (यदि कोई हो), जो धारा 6 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा उस भूमि पर कब्जा किए जाने के समय के बीच भूमि से लाभों में घटती होने के परिणामस्वरूप सद्‌भाव रहते हुए भी हुआ हो,

विचार में लेगा।

[1][(1क) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबंधित है न्यायालय प्रत्येक मामले में ऐसी भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख तक या उस भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक की, इनमें से जो भी पहले हो, कालावधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में ऐसी कालावधि या कालावधियों को, जिनके दौरान भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश द्वारा, रोक आदेश या व्यादेश के कारण रोक दी गई थी, अपवर्जित कर दिया जाएगा।]

(2) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबंधित किया गया है, हर मामले में न्यायालय ऐसे बाजार मूल्य के [2][तीस प्रतिशत] के बराबर राशि अर्जन के वैवश्यिक प्रकृति का होने के प्रतिफलस्वरूप अधिनिर्णीत करेगा।

24. **वे बातें जिनकी प्रतिकर अवधारित करने में उपेक्षा की जाएगी**—किन्तु न्यायालय निम्नलिखित को विचार में न लेगा—

प्रथम, आत्ययिकता की वह मात्रा जिसके कारण अर्जन किया गया है;

द्वितीय, अर्जित भूमि विलग करने के बारे में हितबद्ध व्यक्ति की कोई अनिच्छा;

तृतीय, उस द्वारा उठाया गया ऐसा कोई नुक्सान, जो यदि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कारित होता तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति पर वाद न चल सकता;

चतुर्थ, वह कोई नुक्सान, जो अर्जित भूमि को उस उपयोग के द्वारा या परिणामस्वरूप धारा 6 के अधीन की घोषणा के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् होना सम्भाव्य है, जिसमें वह लाई जाएगी;

पंचम्, अर्जित भूमि के मूल्य में ऐसी कोई वृद्धि, जो उस उपयोग के परिणामस्वरूप होनी सम्भाव्य है, जिसमें वह भूमि अर्जित हो जाने पर लाई जाएगी;

षष्ठम्, हितबद्ध व्यक्ति की किसी दूसरी भूमि के मूल्य में वह कोई वृद्धि, जो उस उपयोग के परिणामस्वरूप प्रोद्‌भूत होनी सम्भाव्य है, जिसमें अर्जित भूमि लाई जाएगी;[3]***

सप्तम्, अर्जित भूमि पर वह कोई लागत या अभिवृद्धि या उसका कोई व्ययन जो कलक्टर की मंजूरी के बिना उस तारीख के पश्चात्, जो [4][धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना] के प्रकाशन की है, प्रारम्भ किया गया, किया गया या क्रियान्वित किया गया है;[5][या]

[5][[4][अष्टम्, भूमि के मूल्य में ऐसी कोई वृद्धि जो उसके किसी ऐसे उपयोग के कारण होती है जो विधि द्वारा निषिद्ध है या लोक नीति के प्रतिकूल है।]।]

[6][25. **न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से कम न होना**—न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम कलक्टर द्वारा धारा 11 के अधीन अधिनिर्णीत रकम से कम नहीं होगी।]।

---

1. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित। देखिए इसी अधिनियम की धारा 30(1), 30-4-1982 को या इसके बाद लम्बित कार्यवाही को लागू होने के संबंध में।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 15 द्वारा "पंद्रह प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित। देखिए इसी अधिनियम की धारा 30(2), 30-4-1982 को या इसके बाद अधिगृहीत भूमि के कुछ मामलों में लागू होने के संबंध में।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 16 द्वारा "अथवा" शब्द लोप किया गया।
4. 1923 के अधिनियम सं० 38 की धारा 8 द्वारा "धारा 6 के अधीन घोषणा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।
6. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 17 द्वारा धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

26. अधिनिर्णयों का प्ररूप—[1][(1)] इस भाग के अधीन वाला हर अधिनिर्णय लिखित रूप में और न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसमें धारा 23 की उपधारा (1) के प्रथम खंड के अधीन अधिनिर्णीत रकम और उसी उपधारा के अन्य खंडों में से क्रमशः हर एक के अधीन अधिनिर्णीत रकमें भी (यदि कोई हों) उक्त रकमों में से हर एक के अधिनिर्णीत किए जाने के आधारों सहित विनिर्दिष्ट होंगी।

[1][(2) ऐसा हर अधिनिर्णय एक डिक्री और ऐसे अधिनिर्णीत किए जाने के आधारों का कथन एक निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की क्रमशः धारा 2 के खंड (2) और धारा 2 के खंड (9) के अर्थ में समझा जाएगा।]

27. खर्चे—(1) ऐसे हर अधिनिर्णय में इस भाग के अधीन वाली कार्यवाहियों में उपगत खर्चों की रकम और यह बात भी कि वे किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में दिए जाने हैं कथित होगी।

(2) जबकि कलक्टर का अधिनिर्णय ठीक नहीं ठहराया जाता तब जब तक कि न्यायालय की यह राय न हो कि आवेदक का दावा इतना अतिमय था या कलक्टर के सामने अपना मामला रखने में उसने इतनी उपेक्षा से काम किया कि उसके खर्चे में से कुछ कटौती की जानी चाहिए या उसे कलक्टर के खर्चे का कोई भाग देना चाहिए, कलक्टर द्वारा मामूली तौर से खर्चे दिए जाएंगे।

[2]28. अतिरिक्त प्रतिकर पर ब्याज देने का निदेश कलक्टर को दिया जा सकेगा—यदि वह राशि, जिसकी बाबत न्यायालय की राय है कि कलक्टर द्वारा वह प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जानी चाहिए थी, उस राशि से, जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है, अधिक है तो न्यायालय के अधिनिर्णय में यह निदेश हो सकेगा कि कलक्टर ऐसे आधिक्य पर उस तारीख से, जिसको उसने भूमि का कब्जा लिया, ऐसा आधिक्य न्यायालय में जमा किए जाने की तारीख तक [3][नौ प्रतिशत] प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे।

[4][परन्तु न्यायालय के अधिनिर्णय में यह भी निदेश हो सकेगा कि जहां ऐसे आधिक्य या उसके किसी भाग को ऐसी तारीख से जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की कालावधि के अवसान की तारीख के पश्चात् न्यायालय में जमा किया जाता है वहां ऐसे आधिक्य की रकम या उसके भाग पर, जो ऐसे अवसान की तारीख के पूर्व न्यायालय में जमा नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।]।

[4][28क. न्यायालय के अधिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुनः अवधारण—(1) जहां इस भाग के अधीन किसी अधिनिर्णय में आवेदक को न्यायालय, कलक्टर द्वारा धारा 11 के अधीन अधिनिर्णीत रकम से अधिक प्रतिकर की कोई रकम अनुज्ञात करता है वहां धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उसी अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली अन्य सभी भूमि में हितबद्ध ऐसे व्यक्ति, जो कलक्टर के अधिनिर्णय से भी व्यथित हैं, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने धारा 18 के अधीन कलक्टर से आवेदन नहीं किया है, न्यायालय के अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर कलक्टर से लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेंगे कि उनको संदेय प्रतिकर की रकम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम के आधार पर पुनः अवधारित की जाए :

परन्तु तीन मास की ऐसी कालावधि की संगणना करने में, जिसके भीतर इस उपधारा के अधीन कलक्टर से आवेदन किया जाएगा, उस दिन को, जिस दिन अधिनिर्णय सुनाया गया था और उस समय को, जो अधिनिर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो, अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देने और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, जांच करेगा और आवेदकों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करते हुए अधिनिर्णय करेगा।

(3) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के अधीन अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर से लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस मामले को न्यायालय के अवधारण के लिए कलक्टर द्वारा निर्देशित किया जाए और धारा 18 से धारा 28 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे निर्देश को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 18 के अधीन किसी निर्देश को लागू होते हैं।]।

1. 1921 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा धारा 26 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया और उपधारा (2) जोड़ी गई।
2. देखिए 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 30 (2), 30-4-1982 को या इसके बाद अधिगृहीत भूमि के कुछ मामलों में इसके लागू होने के संबंध में।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 18 द्वारा "छह प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित।

भाग 4

प्रतिकर का प्रभाजन

29. प्रभाजन की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी—जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति है, वहां यदि ऐसे व्यक्ति प्रतिकर के प्रभाजन के संबंध में सहमत हैं तो ऐसे प्रभाजन की विशिष्टियां अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट की जाएंगी और जहां तक कि ऐसे व्यक्तियों का परस्पर संबंध है वहां वह अधिनिर्णय उस प्रभाजन के ठीक होने का निश्चायक साक्ष्य होगा।

30. प्रभाजन सम्बन्धी विवाद—जबकि प्रतिकर की रकम धारा 11 के अधीन स्थिर की जा चुकी है तब यदि उसके या उसके किसी भाग के प्रभाजन के संबंध में या उन व्यक्तियों के संबंध में, जिनको वह या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उद्भूत होता है तो कलक्टर ऐसे विवाद को न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकेगा।

भाग 5

संदाय

31. **प्रतिकर का संदाय या उसका न्यायालय में निक्षेप**—(1) धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय देने पर कलक्टर अपने द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर के लिए हक़दार हितबद्ध व्यक्तियों को उस प्रतिकर का संदाय अधिनिर्णय के अनुसार निविदत्त करेगा और जब तक कि अव्यवहित आगामी उपधारा में वर्णित आकस्मिकताओं में से किसी एक या अधिक द्वारा ऐसा करने से वह निवारित न हुआ हो उनको वह प्रतिकर देगा।

(2) यदि वे उसे लेने के लिए सम्मत नहीं हैं या यदि भूमि का अन्य-संक्रामण करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या यदि प्रतिकर लेने के हक के संबंध में या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद है तो कलक्टर प्रतिकर की रकम उस न्यायालय में निक्षिप्त कर देगा जिसको धारा 18 के अधीन वाला निर्देश निवेदित किया जाएगा :

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी बाबत यह स्वीकार कर लिया गया है कि वह हितबद्ध है, रकम की पर्याप्तता संबंधी अभ्यापत्ति के अधीन ऐसा संदाय ले सकेगा :

परन्तु यह और भी कि जो कोई व्यक्ति वह रकम अभ्यापत्ति के अधीन लेने से अन्यथा ले चुका है वह धारा 18 के अधीन कोई आवेदन करने का हक़दार नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि एतद्अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसने इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत कोई पूरा प्रतिकर या उसका कोई भाग प्राप्त कर लिया हो, उस दायित्व पर प्रभाव न डालेगी जो उसे उसके लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति को देने का है।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कलक्टर किसी भूमि लेखे धन-प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के बजाय ऐसे व्यक्ति से, जिसका ऐसी भूमि में परिसीमित हित है, या तो विनिमय में अन्य भूमियों के अनुदान द्वारा, या उसी हक के अधीन धृत अन्य भूमियों पर भू-राजस्व के परिहार द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जैसी सम्पृक्त पक्षकारों के हितों का ध्यान रखकर साम्यापूर्ण हो, कोई ठहराव [1][समुचित सरकार] की मंजूरी से कर सकेगा।

(4) अंतिम पूर्वगामी उपधारा की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि वह भूमि में हितबद्ध और उसके संबंध में संविदा करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति के साथ कोई ठहराव करने की कलक्टर की शक्ति में कोई हस्तक्षेप करती है या उसे परीसीमित करती है।

32. **अन्य-संक्रामण करने के लिए अक्षम व्यक्तियों की भूमियों लेखे निक्षिप्त धन का विनिधान**—(1) यदि कोई धन अंतिम पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय में निक्षिप्त किया जाए और यह प्रतीत हो कि जिस भूमि लेखे वह अधिनिर्णीत किया गया था वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जो उसका अन्य-संक्रामण करने की शक्ति नहीं रखता था तो न्यायालय—

(क) वैसे ही हक के अधीन और स्वामित्व की वैसी ही शर्तों पर, जैसे के अधीन और जिन पर वह भूमि धृत थी जिस लेखे ऐसा धन निक्षिप्त किया गया है, धृत की जाने वाली अन्य भूमियों के क्रय में, अथवा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि ऐसा क्रय तत्क्षण न किया जा सकता हो ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में जैसी न्यायालय ठीक समझे,

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उस धन के विनिहित किए जाने का आदेश देगा और यह निदेश दे कि ऐसे विनिधान से उद्‌भूत होने वाले ब्याज या अन्य आगमों का संदाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो उक्त भूमि पर कब्जा करने के हकदार तत्समय हों, किया जाए और ऐसे धन इस प्रकार तब तक निक्षिप्त और विनिहित रहेंगे जब तक वे—

(i) पूर्वोक्त जैसी अन्य भूमियों के क्रय में, अथवा

(ii) उसके आत्यन्तिकत: हकदार हो जाने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय करने में,

उपयोजित न कर दिए जाएं।

(2) निक्षिप्त धनों के उन सब मामलों में, जिन्हें यह धारा लागू है, न्यायालय निम्नलिखित बातों के खर्चे, अर्थात् :—

(क) पूर्वोक्त जैसे विनिधानों के खर्चे,

(ख) जिन प्रतिभूतियों में ऐसे धन तत्समय विनिहित हैं उनके ब्याज या अन्य आगमों के संदाय के और ऐसे धनों के मूल का संदाय न्यायालय के बाहर करने के आदेशों के और जो कार्यवाहियां प्रतिकूल दावेदारों के बीच मुकदमेबाजी के कारण हुई हों उनको छोड़कर उनसे संबद्ध सारी कार्यवाहियों के खर्चे,

तदानुषंगिक सब युक्तियुक्त प्रभारों और व्ययों के सहित कलक्टर द्वारा दिए जाने का आदेश देगा।

33. **अन्य मामलों में निक्षिप्त धन का विनिधान**—जबकि अंतिम पूर्ववर्ती धारा में वर्णित से भिन्न किसी हेतुक के लिए कोई धन इस अधिनियम के अधीन न्यायालय में निक्षिप्त कर दिया गया है तब न्यायालय ऐसे धन में हितबद्ध या उसमें किसी हित का दावा करने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पर उसे ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जैसी वह ठीक समझे, विनिहित करने का आदेश दे सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी विनिधान के ब्याज या अन्य आगम संचित किए जाएं और ऐसी रीति से दिए जाएं जैसी की बाबत वह न्यायालय यह समझता हो कि उसमें हितबद्ध पक्षकारों को उससे वही या यथाशक्य लगभग उतना ही फायदा पहुंचेगा जितना कि उनका उस भूमि से हुआ होता जिस लेखे ऐसा धन निक्षिप्त किया गया था।

[1]34. **ब्याज का संदाय**—जबकि ऐसे प्रतिकर की रकम भूमि का कब्जा लेने पर या के पूर्व न तो दी जाती है और न निक्षिप्त की जाती है तब कलक्टर अधिनिर्णीत रकम ऐसे कब्जा लेने के समय से लेकर उतनी कालावधि तक के, जब तक वह ऐसे संदत्त या निक्षिप्त नहीं की जाती, [2][नौ प्रतिशत] प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित देगा:

[3][परन्तु यदि ऐसा प्रतिकर या उसका कोई भाग उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की कालावधि के भीतर संदत्त या निक्षिप्त नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रतिकर की रकम या उसके भाग पर, जो ऐसे अवसान की तारीख के पूर्व संदत्त या निक्षिप्त नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।]।

भाग 6

भूमि का अस्थायी अधिभोग

35. **बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी अधिभोग। जबकि प्रतिकर के सम्बन्ध में मतभेद है तब प्रक्रिया**—(1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी कब्जा लेना और उपयोग करना किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कम्पनी के लिए आवश्यक है तब [4][समुचित सरकार] कलक्टर को इस अधिनियम के भाग 7 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह निदेश दे सकेगी कि कलक्टर उसका अधिभोग और उपयोग ऐसे अधिभोग के प्रारम्भ से तीन वर्ष से अधिक न होने वाली इतनी अवधि के लिए उपाप्त कर ले जितनी वह सरकार ठीक समझे।

1. 30-4-1982 को, उसके पहले या बाद अर्जित भूमि के कब्जे के कुछ मामलों में लागू होने के संबंध में देखिए; 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 30 (3)।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 20 द्वारा "छह प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 20 द्वारा अंतःस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) तदुपरि कलक्टर ऐसी भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को उस प्रयोजन की एक लिखित सूचना देगा जिस प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता है और पूर्वोक्त जैसी अवधि तक उस पर अधिभोग रखने और उसका उपयोग करने के लिए और उसमें से ली जाने वाली सामग्रियां (यदि कोई हों) लेखे उन व्यक्तियों को या तो कुल धनराशि में या मासिक या अन्य कालिक संदायों द्वारा इतना प्रतिकर संदत्त करेगा जितना कलक्टर और क्रमशः ऐसे व्यक्तियों में लिखित रूप में करार पाए।

(3) प्रतिकर की पर्याप्तता या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई मतभेद कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में होने की दशा में ऐसे मतभेद को कलक्टर न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

36. **प्रवेश करने और कब्जा लेने की शक्ति और प्रत्यावर्तन पर प्रतिकर**—(1) कलक्टर ऐसे प्रतिकर के संदत्त किए जाने पर या ऐसे करार के निष्पादन पर या धारा 35 के अधीन निर्देश करने पर उस भूमि पर प्रवेश और कब्जा कर सकेगा और उसका उपयोग उक्त सूचना के निबन्धनों के अनुसार कर सकेगा या करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) उस अवधि के अवसान पर कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों को उस नुकसान के लिए (यदि कोई हो), जो उस भूमि को पहुंचा हो और जिसके लिए उपबन्ध उस करार द्वारा नहीं हुआ हो, प्रतिकर संदत्त या निविदत्त करेगा और वह भूमि उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित कर देगा :

परन्तु यदि वह भूमि उस उपयोग में लाई जाने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो गई है जिसके लिए ऐसी अवधि के प्रारम्भ के अव्यवहित पूर्व वह लाई जाती थी और यदि हितबद्ध व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करें तो [1][समुचित सरकार] उस भूमि को अर्जित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन ऐसे अग्रसर होगी मानो उसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कम्पनी के लिए स्थायी रूप से आवश्यकता हो।

37. **भूमि की दशा के सम्बन्ध में मतभेद**—उस दशा में, जिसमें कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में उस भूमि की उस दशा के संबंध में, जो उस अवधि के अवसान पर उसकी है या उक्त करार से संबद्ध किसी बात के संबंध में मतभेद है, कलक्टर ऐसे मतभेद को न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

भाग 7

कम्पनियों के लिए भूमि का अर्जन

38. [**कम्पनी प्रवेश और सर्वेक्षण करने के लिए प्राधिकृत की जा सकेगी।**]—भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 68) की धारा 21 द्वारा निरसित।

[2][38क. **औद्योगिक समुत्थान की बाबत कुछ प्रयोजनों के लिए यह समझा जाना कि वह कम्पनी है**—व्यष्टि या व्यष्टियों के संगम के स्वामित्वाधीन का जो औद्योगिक समुत्थान सौ से अन्यून कर्मकारों को मामूली तौर से नियोजित रखता है और कम्पनी नहीं है वैसे उस औद्योगिक समुत्थान की बाबत, जो समुत्थान द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए आवास गृह बनाने के लिए या प्रत्यक्षतः तत्संसक्त सुख-सुविधाएं उपबन्धित करने के लिए भूमि अर्जित करना चाहता है, वहां तक, जहां तक कि ऐसी भूमि के अर्जन का संबंध है, इस भाग के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह कम्पनी है, [3][और धारा 4, 5क, 6, 7 और 50] में के निर्देशों का, जो कम्पनी के प्रति हैं, निर्वचन ऐसे किया जाएगा मानो वे ऐसे औद्योगिक समुत्थान के प्रति भी निर्देश हों।]

39. **समुचित सरकार की पूर्व सम्मति की और करार के निष्पादन की आवश्यकता**—[4][धारा 6 से लेकर धारा 16 तक की धाराओं के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं) और धारा 18 से लेकर धारा 37 तक की धाराओं के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं)] [5][उपबंध इस भाग के अधीन किसी कंपनी के लिए] भूमि अर्जित करने के लिए तब के सिवाय प्रवृत्त नहीं किए जाएंगे जबकि [1][समुचित सरकार] की पूर्व सम्मति मिल गई हो और कम्पनी ने एतत्पश्चात् वर्णित करार निष्पादित कर दिया हो।

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1933 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 22 द्वारा "और धाराओं 5क, 6, 7, 16 और 50" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 23 द्वारा "धारा 6 से लेकर धारा 37 तक की धाराओं के जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं," के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 23 द्वारा "उपबंध किसी कंपनी के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

40. **पूर्ववर्ती जांच**—(1) ऐसी सम्मति तब के सिवाय नहीं दी जाएगी जबकि [1][या तो कलक्टर की धारा 5क की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट पर या] की गई किसी ऐसी जांच द्वारा जैसा एतत्पश्चात् उपबन्धित है, [2][समुचित सरकार] का यह समाधान हो जाता है—

[3][(क) कि अर्जन का प्रयोजन कम्पनी द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए आवास-गृह बनाने के लिए या प्रत्यक्षतः तत्संसक्त सुख-सुविधाएं उपबन्धित करने के लिए भूमि अभिप्राप्त करना है, अथवा

[4][(कक) कि ऐसा अर्जन ऐसी किसी कम्पनी के किसी निर्माण या संकर्म को बनाने के लिए आवश्यक है जो ऐसे किसी उद्योग या संकर्म में लगी हुई है या स्वयं लगने के लिए कदम उठा रही है जो किसी लोक प्रयोजन के लिए है, अथवा]

(ख) कि ऐसा अर्जन कोई संकर्म बनाने के लिए आवश्यक है और वह संकर्म लोक के लिए उपयोगी साबित होना संभाव्य है।]

(2) ऐसी जांच ऐसे आफ़िसर द्वारा और ऐसे समय और स्थान पर की जाएगी जिसे [2][समुचित सरकार] नियुक्त करे।

(3) ऐसा आफ़िसर उन्हीं साधनों से और यावत्सम्भव उसी रीति से, जैसी किसी सिविल न्यायालय की दशा में [5][सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)] द्वारा उपबन्धित है, साक्षियों को समन कर सकेगा और उनकी हाजिरी प्रवर्तित करा सकेगा और विवश करके दस्तावेजों की पेशी करा सकेगा।

41. **समुचित सरकार के साथ करार**—[6]*** यदि [2][समुचित सरकार] का समाधान कलक्टर की [7][धारा 5क, उपधारा (2) के अधीन की किसी रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् या धारा 40 के अधीन जांच करने वाले आफिसर की रिपोर्ट पर] हो जाता है कि [8][प्रस्थापित अर्जन उन प्रयोजनों में से किसी के लिए है जो धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (कक) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट हैं] तो वह [9]*** कम्पनी से यह अपेक्षा करेगी की वह कम्पनी [10][[2][समुचित सरकार] से] निम्नलिखित के लिए ऐसा उपबन्ध करने वाला, जैसे से [2][समुचित सरकार] का समाधान हो जाता है, एक करार करे, अर्थात् :—

(1) [11][[2][समुचित सरकार]] को अर्जन के खर्च [11][का संदाय],

(2) ऐसे संदाय पर भूमि का अन्तरण कम्पनी को किया जाना,

(3) वे निबंधन जिन पर भूमि कम्पनी द्वारा धृत रखी जाएगी,

[12][(4) जहां कि अर्जन आवास-गृह बनाने के लिए या तत्संसक्त सुख-सुविधाएं उपबन्धित करने के प्रयोजन के लिए है वहां वह समय जिसके भीतर, वे शर्तें जिन पर और वह रीति जिसमें आवास-गृह बनाए जाएंगे या सुख-सुविधाएं उपबन्धित की जाएंगी, [13]***

[14][(4क) जहां कि अर्जन ऐसी किसी कम्पनी के किसी निर्माण या संकर्म को बनाने के लिए है, जो ऐसे किसी उद्योग या संकर्म में लगी हुई है या स्वयं लगने के लिए कदम उठा रही है, जो किसी लोक प्रयोजन के लिए है, वहां वह समय, जिसके भीतर और वे शर्तें जिन पर वह निर्माण या संकर्म बनाया या निर्मित किया जाएगा, तथा]

(5) जहां कि यह अर्जन कोई अन्य संकर्म बनाने के लिए है वहां वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें जिन पर वह संकर्म बनाया जाएगा या बना रखा जाएगा और वे निबन्धन जिन पर लोक उस संकर्म का उपयोग करने का हक़दार होगा।]

---

1. 1923 के अधिनियम सं० 38 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1933 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा मूल खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1962 के अधिनियम सं० 31 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।
5. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 24 द्वारा "कोड आफ सिविल प्रोसीजर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1923 के अधिनियम सं० 38 की धारा 10 द्वारा "ऐसे अधिकारी स्थानीय सरकार को जांच के परिणाम को भेजेंगे तथा" शब्दों का लोप किया गया।
7. 1923 के अधिनियम सं० 38 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।
8. 1962 के अधिनियम सं० 31 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 तथा भाग 1 द्वारा "ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिन्हें भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल समय-समय पर इस निमित्त विहित करें" शब्दों का लोप किया गया।
10. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत में सपरिषद् सेक्रेटरी आफ स्टेट के साथ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार को संदाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
12. 1933 के अधिनियम सं० 16 की धारा 4 द्वारा मूल खण्ड (4) और (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
13. 1962 के अधिनियम सं० 31 की धारा 4 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया।
14. 1962 के अधिनियम सं० 31 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

42. **करार का प्रकाशन**—ऐसा हर क़रार अपने हस्ताक्षरण के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र [1]*** शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा होने पर उसका (वहां तक, जहां तक कि उन निबन्धनों का संबंध है जिन पर लोक उस संकर्म का उपयोग करने का हक़दार होगा) ऐसा प्रभाव होगा मानो वह इस अधिनियम का भाग था।

43. धारा 39 से लेकर धारा 42 तक की धाराएं वहां लागू नहीं होंगी जहां कि सरकार करार से आबद्ध है—[2][सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउन्सिल, सेक्रेटरी आफ स्टेट,] [3][केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार] जिस रेल या अन्य कम्पनी के प्रयोजनों के लिए भूमि [2][ऐसी कम्पनी के साथ किसी करार के अधीन] देने के लिए आबद्ध थी या है वैसी किसी रेल या अन्य कम्पनी के लिए भूमि के अर्जन को धारा 39 से लेकर धारा 42 तक की (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं), धाराओं के उपबन्ध लागू न होंगे और यह समझा जाएगा कि उसे [4]लैंड एक्वीज़िशन ऐक्ट, 1870 (1870 का 10) के तत्स्थानी उपबन्ध भी कभी लागू नहीं थे।

44. **रेल कम्पनी के साथ का करार कैसे साबित किया जा सकेगा**—किसी रेल कम्पनी के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन की दशा में किसी ऐसे करार का अस्तित्व, जैसा कि धारा 43 में वर्णित है, उसकी ऐसी मुद्रित प्रति को पेश करके साबित किया जा सकेगा जिसका सरकार के आदेश से मुद्रित होना तात्पर्यित है।

[5][44क. **अन्तरण आदि पर निर्बन्धन**—कोई भी कम्पनी, जिसके लिए इस भाग के अधीन भूमि अर्जित की जाती है, उक्त भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय, बंधक, दान, पट्टा या अन्यथा अन्तरण समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से करने के सिवाय करने की हक़दार न होगी।

44ख. **सरकारी कम्पनियों से भिन्न प्राइवेट कम्पनियों के लिए इस भाग के अधीन भूमि का अर्जन प्रयोजन विशेष के लिए किए जाने के सिवाय न किया जाना**—इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी इस भाग के अधीन किसी भी भूमि का अर्जन ऐसी प्राइवेट कम्पनी के लिए, जो सरकारी कम्पनी नहीं है, धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में वर्णित प्रयोजन के लिए किए जाने सिवाय नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—"प्राइवेट कम्पनी" और "सरकारी कम्पनी" के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं।]

भाग 8

प्रकीर्ण

45. **सूचनाओं की तामील**—(1) इस अधिनियम के अधीन वाली किसी भी सूचना की तामील धारा 4 के अधीन वाली किसी भी सूचना की दशा में उसमें वर्णित आफ़िसर द्वारा हस्ताक्षरित और किसी अन्य सूचना की दशा में कलक्टर या न्यायाधीश के द्वारा या आदेश से हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति परिदत्त या निविदत्त करके की जाएगी।

(2) जब कभी यह करना साध्य हो सूचना की तामील उसमें नामित व्यक्ति पर की जाएगी।

(3) जबकि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता तब तामील उसके कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्य पुरुष सदस्य पर, जो उसी के साथ निवास करता है, की जा सकेगी, और यदि ऐसा कोई वयस्य पुरुष सदस्य नहीं पाया जा सकता, तो सूचना की तामील उस गृह के बाहरी द्वार पर, जिसमें वह व्यक्ति, जो उस सूचना में नामित है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है, उसकी प्रति लगाकर या पूर्वोक्त आफ़िसर के या कलक्टर के कार्यालय में या न्यायसदन में के किसी सहजदृश्य स्थान पर और अर्जित की जाने वाली भूमि के किसी सहजदृश्य भाग में भी उसकी एक प्रति लगाकर की जा सकेगी :

परन्तु यदि कलक्टर या न्यायाधीश ऐसा निदेश दे तो सूचना ऐसे पत्र में, जो उसमें नामित व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, पते या कारबार के स्थान से उसको संबोधित है और [6][भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 28 और धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकृत] है, डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और उसकी तामील संबोधिती की रसीद पेश करके साबित की जा सकेगी।

---

1. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के राजपत्र में, तथा" शब्दों का लोप किया गया।
2. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "ऐसी कम्पनी और भारत में सपरिषद् सेक्रेटरी आफ स्टेट के बीच हुए करार के अधीन सरकार भूमि देने के लिए आबद्ध है या थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या ब्रिटिश भारत में कोई सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. इस अधिनियम द्वारा निरसित।
5. 1962 के अधिनियम सं० 31 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।
6. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 25 द्वारा "इंडियन पोस्ट आफिस ऐक्ट, 1866 (1866 का 14) के भाग 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

46. भूमि के अर्जन में बाधा डालने के लिए शास्ति—जो कोई धारा 4 या धारा 8 द्वारा प्राधिकृत कार्यों में से किसी के किए जाने में किसी व्यक्ति को जानबूझकर बाधित करेगा या धारा 4 के अधीन बनाई गई किसी खाई या चिह्न को जानबूझकर भर देगा, नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या विस्थापित करेगा, वह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्धदोष ठहराए जाने पर एक मास से अनधिक की किसी अवधि के कारावास से, या [1][पांच सौ से अनधिक रुपए] के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

47. मजिस्ट्रेट अभ्यर्पण प्रवर्तित कराएगा—यदि इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने में कलक्टर का विरोध किया जाता है या उसके समक्ष अड़चन डाली जाती है तो वह उस दशा में, जिसमें वह मजिस्ट्रेट है, उस भूमि का उसे अभ्यर्पित किया जाना प्रवर्तित करा लेगा और उस दशा में, जिसमें वह मजिस्ट्रेट नहीं है, मजिस्ट्रेट से या (कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई के नगरों के भीतर) पुलिस के आयुक्त से आवेदन करेगा और (यथास्थिति) ऐसा मजिस्ट्रेट या आयुक्त कलक्टर को उस भूमि का अभ्यर्पण किया जाना प्रवर्तित कराएगा।

48. **अर्जन पूरा करना अनिवार्य नहीं है किन्तु यदि अर्जन पूरा न भी किया जाए तो भी प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाएगा**—(1) धारा 36 में जिस दशा के लिए उपबन्ध किया गया है, उस दशा के सिवाय, सरकार किसी ऐसी भूमि का, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है, अर्जन करने से प्रत्याहृत हो जाने के लिए स्वतंत्र होगी।

(2) जब कभी सरकार कोई ऐसा अर्जन करने से अपने को प्रत्याहृत कर ले तब कलक्टर किसी सूचना के या तदधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप जो नुकसान स्वामी को पहुंचा है, उसके लिए शोध्य प्रतिकर की रकम अवधारित करेगा और हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी रकम उन सब खर्चों सहित देगा जो उस व्यक्ति ने उक्त भूमि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों के अभियोजन में युक्तियुक्त रूप से उठाए हों।

(3) इस अधिनियम के भाग 3 के उपबन्ध इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर का अवधारण करने को यावत्शक्य लागू होंगे।

49. **गृह या निर्माण के एक भाग का अर्जन**—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध किसी गृह, विनिर्माणशाला या अन्य निर्माण के केवल एक भाग के अर्जन के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित नहीं किए जाएंगे यदि स्वामी यह वांछा करे कि ऐसा पूरा गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरा निर्माण इस प्रकार अर्जित किया जाए :

परन्तु स्वामी धारा 11 के अधीन कलक्टर द्वारा अपना अधिनिर्णय दिए जाने के पूर्व किसी भी समय अपनी यह अभिव्यक्त वांछा कि ऐसा पूरा गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरा निर्माण अर्जित किया जाए लिखित सूचना द्वारा प्रत्याहृत या उपान्तरित कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि इसके संबंध में कोई प्रश्न पैदा हो कि क्या कोई ऐसी भूमि, जिसका इस अधिनियम के अधीन लिया जाना प्रस्थापित है, इस धारा के अर्थों में किसी गृह, विनिर्माणशाला या निर्माण का भाग है या नहीं तो कलक्टर ऐसे प्रश्न का अवधारण न्यायालय को निर्देशित करेगा और ऐसी भूमि का तब तक कब्जा नहीं लेगा, जब तक वह प्रश्न अवधारित न हो गया हो।

न्यायालय ऐसे निर्देश पर विनिश्चय करने में इस प्रश्न का ध्यान रखेगा कि क्या वह भूमि, जिसे लेने की प्रस्थापना है, उस गृह, विनिर्माणशाला या निर्माण के पूर्ण और अविकल उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है।

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि के उसकी अन्य भूमि से अलग किए जाने के कारण जो कोई दावा हितबद्ध व्यक्ति ने धारा 23 की उपधारा (1), तृतीय के अधीन किया है यदि [2][समुचित सरकार] की राय उस दावे की दशा में यह है कि दावा अयुक्तियुक्त और अत्यधिक है तो कलक्टर द्वारा अपना अधिनिर्णय दिए जाने के पूर्व वह किसी भी समय उस सारी भूमि के अर्जन के लिए आदेश दे सकेगी, जिसका वह भूमि एक भाग है, जिसका अर्जन सर्वप्रथम ईप्सित था।

(3) एतस्मिनपूर्व अंतिम उपबन्धित दशा में धारा 6 से लेकर धारा 10 तक की, जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं, धाराओं के अधीन कोई भी नई घोषणा या अन्य कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी किन्तु कलक्टर [2][समुचित सरकार] के आदेश की एक प्रति हितबद्ध व्यक्ति को अविलम्ब देगा और तत्पश्चात् धारा 11 के अधीन अपना अधिनिर्णय करने के लिए अग्रसर होगा।

50. **किसी स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी के खर्चे पर भूमि का अर्जन**—(1) जहां कि इस अधिनियम के उपबन्ध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित या प्रबन्धित किसी निधि के या किसी कम्पनी के खर्चे पर भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित किए जाए वहां ऐसे अर्जन के या तदानुषंगिक प्रभार ऐसी निधि में से या कम्पनी द्वारा संदत्त किए जाएंगे।

(2) ऐसे मामलों में जो कोई कार्यवाही कलक्टर या न्यायालय के समक्ष होती है उसमें सम्पृक्त स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी उपसंजात हो सकेगी और प्रतिकर की रकम के अवधारित करने के प्रयोजन से साक्ष्य पेश कर सकेगी :

---

1. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 26 द्वारा "पचास से अनधिक रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु कोई ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी धारा 18 के अधीन निर्देश कराने की मांग करने की हकदार न होगी।

51. **स्टाम्प शुल्क या फीस से छूट**—इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अधिनिर्णय या करार पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा और ऐसे किसी अधिनिर्णय या करार के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसकी प्रति के लिए कोई फीस देने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।

[1][51क. **प्रमाणित प्रति का साक्ष्य के रूप में प्रतिग्रहण**—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी ऐसी दस्तावेज की, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, कोई प्रमाणित प्रति, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 57 के अधीन की गई प्रति है, ऐसी दस्तावेज में अभिलिखित संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में प्रतिगृहीत की जा सकेगी।]

52. **अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए वादों की दशा में सूचना**—इस अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही ऐसे व्यक्ति को आशयित कार्यवाही की और उसके हेतुक की एक मास की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना प्रारम्भ नहीं की जाएगी और न पर्याप्त अभितुष्टि निविदत्त कर दिए जाने के पश्चात् अभियोजित की जाएगी।

53. **न्यायालय के समक्ष वाली कार्यवाही को कोड आफ सिविल प्रोसीजर का लागू होना**—वहां तक के सिवाय, जहां तक कि वे इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत हों, [2][सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)] के उपबन्ध उन सब कार्यवाहियों को लागू होंगे जो न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अधीन होती हैं।

[3][54. **न्यायालय में हुई कार्यवाहियों में अपीलें**—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उन उपबन्धों के, जो मूल डिक्रियों की अपीलों को लागू हैं, अध्यधीन रहते हुए और किसी तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही में न्यायालय के अधिनिर्णय या अधिनिर्णय के किसी भाग की कोई अपील केवल उच्च न्यायालय में होगी और ऐसी अपील में, जैसी पूर्वोक्त है, पारित उच्च न्यायालय की किसी डिक्री की अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 110 में और उसके आदेश 45 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए [4][उच्चतम न्यायालय] में होगी।]

55. **नियम बनाने की शक्ति**—(1) [5][समुचित सरकार] [6]*** को इस अधिनियम का प्रवर्तन कराने से संसक्त सब बातों में आफ़िसरों का मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे नियम, जो इस अधिनियम से संगत हों, बनाने की शक्ति प्राप्त होगी और समय-समय पर वह उन नियमों में, जो इस प्रकार बनाए गए हों, परिवर्तन और परिवर्धन कर सकेगी :

[7][परन्तु इस अधिनियम के भाग 7 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य होगी और ऐसे नियम राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के आफ़िसरों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जा सकेंगे :

[8][परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :]]

[9][परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

---

1. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित।
2. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 28 द्वारा "कोड आफ सिविल प्रोसीजर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1921 के अधिनियम सं० 19 की धारा 3 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मेजेस्टी इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 तथा अनुसूची, भाग 1 द्वारा अंत:स्थापित "सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए" शब्दों का 1920 के अधिनियम सं० 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा लोप किया गया।
7. 1962 के अधिनियम सं० 31 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया। इसके पूर्व जो परन्तुक 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा जोड़ा गया था तथा भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा लोप कर दिया गया था।
8. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 29 द्वारा दूसरे परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1984 के अधिनियम सं० 68 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन के नियमों को बनाने, परिवर्तित करने और उनमें परिवर्धन करने की शक्ति ऐसे नियमों को पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् बनाने, परिवर्तित करने और उनमें परिवर्धन करने की शर्त के अध्यधीन होगी।

(3) ऐसे सब नियम, परिवर्तन और परिवर्धन [1]*** शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसा होने पर उनको विधि का बल प्राप्त होगा।

1. 1914 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 तथा अनुसूची, भाग 1 द्वारा "जब सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा मंजूर किए गए हों" शब्दों का लोप किया गया।

उपाबन्ध

भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1962 से उद्धरण

(1962 का 31)

* * * * *

7. कतिपय अर्जनों का विधिमान्य करण—किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, कम्पनी के लिए भूमि का हर अर्जन, जो मूल अधिनियम के भाग 7 के अधिन 1962 की जुलाई के 20वें दिन से पूर्व किया गया है या किया जाना तात्पर्यित है, जहां तक कि ऐसा अर्जन मुख्य अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए नहीं है, उक्त उपधारा के खण्ड (कक) में वर्णित प्रयोजन के लिए किया गया समझा जाएगा, और तदनुकूल ऐसा प्रत्येक अर्जन और ऐसे अर्जन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही, आदेश, करार या कार्य ऐसे ही विधिमान्य होगा और सदैव विधिमान्य रहा समझा जाएगा, मानो मूल अधिनियम की धारा 40 और 41 के उपबन्ध, जैसे वे इस अधिनियम द्वारा संशोधित हैं, उन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे, जब ऐसा अर्जन किया गया था, या कार्यवाही की गई थी या आदेश दिया गया था, या करार किया गया था या कार्य किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "कम्पनी" का वही अर्थ है जो मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ङ) के उस रूप में है, जैसे वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित किए जाने पर है।

* * * * *